भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 232
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: **क्षेत्रों का कार्यनीतिक और गैर-कार्यनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकरण**
232. श्री कीर्ति आज़ाद:
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण से संबंधित मामले राष्ट्र के लिए कार्यनीतिक महत्व के नहीं हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा कार्यनीतिक और गैर-कार्यनीतिक क्षेत्रों के वर्गीकरण में किन-किन बातों पर विचार किया गया है: और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ख): खाद्य सुरक्षा और किसानों का कल्याण राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार देश भर में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू कश्मीर और लद्दाख) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) को कार्यान्वित कर रही है। एनएफएसएनएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, फसलन प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/संकरों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण, कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन, बीज मिनीकिट आदि के वितरण पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को अनुकूलता भी प्रदान करती है।

सरकार किसानों के हित के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के लिए बफर स्टॉक का संचालन और रखरखाव, खाद्यान्नों के लिए भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन आदि जैसे विभिन्न कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार किसानों

के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएमकेएमवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत कार्यक्रम, 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने की योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम), कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) आदि योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जो खाद्यान फसलों के लिए उत्पादन, सुरक्षा, फसलोपरांत प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, मार्केट लिंकेज आदि के लिए सहायता प्रदान करती हैं। देश का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2019-20 के दौरान 297.50 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 332.29 मिलियन टन हो गया है।

(ग) से (घ): सरकार ने फरवरी, 2021 में आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ("पीएसई") नीति अधिसूचित की, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों को कार्य नीतिक और गैर-कार्यनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। कार्यनीतिक क्षेत्रों में पीएसई को राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के मानदंडों के आधार पर चित्रित किया गया है।

***